मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

निविदा विज्ञप्ति

इस कार्यालय को शासकीय कार्य हेतु किराए पर विभिन्न वाहनों (जैसे मारुति ड़ीजाइर, टाटा इंडिगो, टाटा टिगोर, होंडा अमेज़, फ़ोर्ड एस्पायर, हुंडई एक्ससेंट, मारुति सियाज़, होंडा सिटी,टाटा सफारी, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा एक्सयूवी, महिंद्रा टीयूवी, महिंद्रा बोलेरो, टोयोटा इनोवा,इत्यादि) की आवश्यकता है। इस हेतु इच्छुक ट्रैवल एजेंसी / व्यक्तियों से निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। वाहन का मॉडेल वर्ष 2016 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। निविदा दिनांक 10.02.2018 को अपरान्ह 3:00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी, जो कि उसी दिन अपरान्ह 3:30 बजे खोली जावेगी। इच्छुक निविदादाता अन्य शर्तों की जानकारी एवं निविदा प्रपत्र वैबसाइट : www.mpsdma.mp.gov.in एवं www.home.mp.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

सहायक संचालक (प्रशासन)

02-01-18

मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
गृह विभाग,मध्यप्रदेश शासन

वाहन किराए पर लेने हेतु निविदा विवरण

मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भोपाल को शासकीय कार्य/कार्यशालाओं/बैठकों एवं बाहर से आये अधिकारियों/अतिथियों के स्थानीय एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहनों की आवश्यकता पड़ती है । इस हेतु विभिन्न वाहन (जैसे मारुति डीजाइर, टाटा इंडिगो, टाटा टिगोर, होंडा अमेज़, फ़ोर्ड एस्पायर, हुंडई एक्ससेंट, मारुति सियाज़, होंडा सिटी,टाटा सफारी, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा एक्सयूवी, महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा टीयूवी, टोयोटा इनोवा,इत्यादि) वाहनों की दरें आमंत्रित की जाती हैं । वाहन अपेक्षित मापदण्डों के तहत संधारित और चालन की अच्छी स्थिति वाले होने चाहिए, ताकि सेवाएं सुगम और बिना परेशानी के हों ।

किराए पर वाहन उपलब्ध कराने के लिये नियम एवं शर्तें:–

१. किराए पर दिए जाने वाले वाहन का मॉडल (2016 माडल) से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए तथा सभी वाहन टैक्सी कोटे के होने चाहिए । वाहन यथासंभव जी.पी.एस. सुविधायुक्त हों ।

२. किराए की अवधि में मासिक किराये पर लिए गए वाहनों में पेट्रोल/डीजल प्रदाय की जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी एवं वाहन के संधारण पर होने वाली टूटफूट, बैटरी, टायर ट्यूब आदि के व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी भी वाहन प्रदाता की होगी ।

३. यात्रा के दौरान दुर्गम स्थान में भी वाहन ले जाया जायेगा । वाहन के ड्रायवर का यह कर्तव्य होगा कि उपयोगकर्ता/संस्था के अधिकारी के आदेश का पालन करें ।

४. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है । वाहन में अच्छी स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारों पहिए के टायर–ट्यूब अच्छे होने चाहिए व माइलोमीटर हमेशा चालू हालत में होना अनिवार्य है । इसकी जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी । मासिक दर आधार पर वाहन को एक दिवस के लिये सर्विसिंग कार्य के लिये छूट इस शर्त पर दी जायेगी कि इसके बदले प्रदायकर्ता द्वारा अन्य वाहन उपलब्ध करायेगा ।

५. वाहन प्रदाता को हर समय कार्यालय के कार्य हेतु वाहन एवं ड्रायवर तैयार मिलना आवश्यक है । वाहन प्रदाता द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान उक्त वाहन केवल इस कार्यालय मे उपयोग हेतु प्रदाय किया जाएगा एवं किसी भी अन्य कार्यालय अथवा एजेंसी को किराए पर नहीं दिया जाएगा।

६. वाहन ड्रायवर के पास नियमानुसार वाहन चालन का कम से कम ०३ वर्ष पुराना वैध ड्रायविंग लाइसेंस होना आवश्यक है । साथ ही वाहन चालक के पास मोबाइल सुविधा अनिवार्य है जिसे वाहन प्रदायकर्ता/ड्राईवर द्वारा स्वयं उपलब्ध कराया जायेगा ।

Ashwin
02-01-18

मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन

७. वाहन प्रदाता के वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन एवं ड्रायवर का वैध ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखने आवश्यक होंगे । वाहन टैक्स पेड एवं वाहन प्रदाता के स्वामित्व में रहना चाहिए । किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन का स्वामी इसके लिये पूर्ण उत्तरदायी होगा तथा समस्त खर्चे वहन करेगा ।

८. वाहन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी ।

९. रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में **या किसी अन्य कारण से वाहन ना उपलब्ध ना होने से प्रदायकर्ता को** उपयोगकर्ता अधिकारी को **दूसरा वाहन उपलब्ध करवाना होगा।** वाहन प्रदायकर्ता द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने पर वैकल्पिक व्यवस्था पर होने वाला व्यय वाहन प्रदायकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । यह राशि उनके देयक से वसूली योग्य होगी ।

१०. **मायलोमीटर तथा समय की गणना आफिस से आफिस तक या प्रथम पक्षकार द्वारा वाहन उपयोग मे लेने के स्थान से की जाएगी।**

११. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी एवं वाहन प्रभारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लॉग बुक में कराना होगा । प्रमाणित लॉग बुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

१२. माईलोमीटर की गड़बड़ी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग को निर्धारित दूरी अनुसार मान्य किया जायेगा ।

१३. वाहन के स्थानीय मुख्यालय से बाहर उपयोग में न्यूनतम दूरी का कोई भी बंधन नहीं रहेगा ।

१४. निविदा जमा करते समय धरोहर राशि रूपये 25000/– का बैंक ड्राफ्ट सचिव गृह एवं समन्वयक मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,भोपाल के नाम से कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी ।

१५. आवेदन में नाम एवं पता स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिये ।

१६. वाहन प्रदायकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्ति के उपरांत मांग एवं आवश्यकतानुसार मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भोपाल को मय ड्रायवर के वाहन निर्धारित स्थान (कार्यालय) में भेजना होगा, अन्यथा स्वीकृति निरस्त की जावेगी ।

१७. वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य खर्च, जिसमें वाहन चालक का दैनिक एवं अन्य यात्रा भत्ता भी शामिल है, वाहन प्रदायकर्ता स्वयं वहन करेगा ।

१८. वाहन आवश्यकता/मांग के अनुसार बैठक/कार्यशाला/क्षेत्र भ्रमण हेतु समय–समय पर किराये पर लिये जायेंगे तथा वाहनों की आवश्यकता/मांग अनुसार मासिक किराये पर लिये जा सकते हैं । वाहन आवश्यकतानुसार भोपाल से बाहर भी प्रदेश के सभी स्थानों पर भेजे जा सकेंगे ।